



भारतीय संसद

राज्य सभा



सत्यमेव जयते

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना
राज्य सभा का दो सौ अठारहवां सत्र
(19 नवम्बर, 2009 से 22 दिसम्बर, 2009 तक)

राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

2010

भारतीय संसद

राज्य सभा



सत्यमेव जयते

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना
राज्य सभा का दो सौ अठारहवां सत्र
(19 नवम्बर, 2009 से 22 दिसम्बर, 2009 तक)

राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

2010

वेबसाईट: <http://rajyasabha.nic.in>

ई-मेल: rsqns@sansad.nic.in

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में राज्य सभा के दो सौ अठारहवें सत्र के दौरान प्राप्त हुई प्रश्नों की सूचनाओं और उनके निपटारे से संबंधित सांख्यिकीय सूचना दी गई है। इसमें दस विवरण हैं, जिनमें सत्र के दौरान निपटाए गए प्रश्नों से संबंधित आंकड़ों से संकलित की गई विभिन्न प्रकार की सूचना दी गई है। विवरण संख्या-IX में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो एक नजर में प्रश्नों से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली
26 मार्च, 2010
5 चैत्र, 1932 (शक)

विवेक कुमार अग्निहोत्री,
महासचिव।

विषय-सूची

पृष्ठ

I	प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या	1
II	सत्र प्रारंभ होने का समाचार जारी होने के पश्चात प्रत्येक तारीख के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं.....	2-4
II.क	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	5
III	प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय विवरण जिसमें प्रत्येक मंत्रालय के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या को दर्शाया गया है.....	6-10
IV	उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में राज्य सभा में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिए गए	11-12
V	तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण.....	13
VI	अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	14-17
VII	प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	18
VIII	राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नोत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सारांश.....	19
IX	राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य.....	20-22
X	राज्य सभा में प्रश्न काल को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निदेशों/निर्णयों को वाला विवरण.....	23-24

विवरण।

प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या

वर्ग I

कोयला; कारपोरेट कार्य; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास; पर्यावरण और वन; खाद्यप्रसंस्करण उद्योग; सूचना और प्रसारण; विधि और न्याय; खान; अल्पसंख्यक कार्य; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा; विद्युत; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; जनजातीय कार्य; महिला एवं बाल विकास।

1755

वर्ग II

नागर विमानन; वित्त; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; भारी उद्योग और लोक उद्यम; पंचायती राज; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; ग्रामीण विकास; पोत परिवहन।

2014

वर्ग III

वाणिज्य और उद्योग; रक्षा; गृह; श्रम और रोजगार; सड़क परिवहन और राजमार्ग; वस्त्र।

1825

वर्ग IV

प्रधानमंत्री; परमाणु ऊर्जा; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी; संस्कृति; पृथ्वी विज्ञान; विदेश; आवास और शहरी गरीबी उपशमन; प्रवासी भारतीय कार्य; संसदीय कार्य; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; योजना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; सामाजिक न्याय और अधिकारिता; अंतरिक्ष; पर्यटन; शहरी विकास; जल संसाधन; युवक कार्यक्रम और खेल।

1906

वर्ग V

कृषि; रसायन और उर्वरक; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; मानव संसाधन विकास; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; रेल; इस्पात।

2028

योग

9528

विवरण - ॥

सत्र प्रारंभ होने का संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् प्रत्येक तारीख के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	प्राप्त तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	प्राप्त अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	कुल प्राप्त सूचनाएं	हिन्दी में प्राप्त सूचनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	19.11.2009	210	29	239	46
2.	20.11.2009	245	25	270	58
3.	23.11.2009	255	53	308	48
4.	24.11.2009	341	74	415	71
5.	25.11.2009	350	77	427	83
6.	26.11.2009	336	72	408	92
7.	27.11.2009	381	74	455	100
8	30.11.2009	341	73	414	88

9	01.12.2009	447	77	524	114
10	02.12.2009	381	89	470	102
11	03.12.2009	323	83	406	102
12	04.12.2009	337	97	434	94
13	07.12.2009	285	97	382	77
14	08.12.2009	420	113	533	95
15	09.12.2009	344	115	459	103
16	10.12.2009	310	111	421	105
17	11.12.2009	325	117	442	60
18	14.12.2009	283	73	356	75
19	15.12.2009	416	126	542	106

1	2	3	4	5	6
20	16.12.2009	348	121	469	101
21	17.12.2009	299	133	432	110
22	18.12.2009	317	110	427	87
23	21.12.2009	233	62	295	61
24	22.12.2009		प्रश्नकाल नहीं हुआ		
योग		7527	2001	9528	1978

विवरण-II "क"

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

प्रश्नों की श्रेणी	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत	एक से अधिक नामों से गृहीत	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई
तारांकित	7527	459	210	1016	2374	3	5	-
अतारांकित	2001	3536+	1177++	216	532	-	-	-
योग	9528	3995	1387	1232	2906	3	5	-

+ इसमें 2603 तारांकित प्रश्नों की ऐसी सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में स्वीकृत किया गया।

++ इसमें 857 तारांकित प्रश्नों की ऐसी सूचनायें सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के एक रूप में एक से अधिक नामों से स्वीकृत किया गया।

प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय विवरण जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, प्रश्नों की हिन्दी में प्राप्त हुई सूचनाओं को दर्शाते हैं)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत तारांकित	गृहीत अतारांकित	एक से अधिक नामों से गृहीत	अस्वीकृत	व्यपगत	सदस्यों को लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	प्रधान मंत्री	38(15)	-	-	-	10(5)	28(10)	-	-	-	-
2.	कृषि	486(101)	24(8)	166(35)	78(20)	27(4)	189(34)	2	-	-	5
3.	परमाणु ऊर्जा	71(26)	2(0)	31(12)	15(5)	8(2)	15(7)	-	-	-	-
4.	रसायन और उर्वरक	112(34)	2(0)	49(16)	16(6)	13(4)	32(8)	-	-	-	5
5.	नागर विमानन	241(36)	15(3)	86(15)	32(5)	27(4)	81(9)	-	-	-	10
6.	कोयला	136(41)	10(4)	68(17)	22(6)	10(4)	25(10)	-	1	-	7
7.	वाणिज्य और उद्योग	373(67)	19(5)	111(19)	61(13)	28(5)	154(25)	-	-	-	16
8.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	262(34)	20(3)	110(11)	53(6)	30(6)	49(8)	-	-	-	16
9.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	286(55)	10(3)	119(21)	49(13)	10(5)	97(13)	1	-	-	10

10.	कारपोरेट कार्य	61(9)	2(0)	18(2)	4(1)	23(1)	14(5)	-	-	-	-
11.	संस्कृति	78(13)	5(2)	32(6)	4(1)	13(1)	24(3)	-	-	-	5
12.	रक्षा	251(54)	8(0)	78(19)	26(8)	68(15)	71(12)	-	-	-	-
13.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	19(5)	-	11(3)	3(0)	3(0)	2(2)	-	-	-	-
14.	पृथ्वी विज्ञान	18(4)	-	9(2)	3(0)	2(0)	4(2)	-	-	-	-
15.	पर्यावरण और वन	417(112)	22(3)	197(46)	76(23)	54(18)	68(22)	-	-	-	11
16.	विदेश	372(85)	14(6)	102(17)	73(15)	88(17)	95(30)	-	-	-	12
17.	वित्त	585(119)	26(5)	169(36)	66(18)	84(15)	240(45)	-	-	-	33
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	38(1)	1(0)	16(1)	3(0)	4(0)	14(0)	-	-	-	-
19.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	527(110)	17(4)	179(32)	62(15)	49(10)	220(49)	-	-	-	10
20.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	25(5)	1(0)	4(1)	2(1)	2(0)	16(3)	-	-	-	-

21.	गृह	662(152)	33(5)	207(37)	69(42)	124(22)	227(46)	-	2	-	41
22.	आवास और शहर गरीबी उपशमन	84(16)	6(1)	37(8)	17(0)	5(0)	19(7)	-	-	-	5
23.	मानव संसाधन विकास	530(100)	29(2)	197(34)	95(23)	42(12)	167(29)	-	-	-	41
24.	सूचना और प्रसारण	136(28)	13(0)	58(12)	23(8)	17(0)	24(8)	-	1	-	14
25.	श्रम और रोजगार	172(38)	5(1)	74(16)	26(14)	12(5)	55(2)	-	-	-	4
26.	विधि और न्याय	207(22)	6(0)	80(7)	39(3)	58(9)	24(3)	-	-	-	6
27.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	90(8)	4(0)	30(2)	21(2)	7(0)	28(4)	-	-	-	5
28.	खान	73(13)	2(0)	35(6)	9(3)	22(4)	5(0)	-	-	-	-
29.	अल्पसंख्यक कार्य	103(10)	2(0)	37(5)	7(1)	34(1)	23(3)	-	-	-	-
30.	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	56(6)	4(2)	31(2)	10(0)	2(0)	9(2)	-	-	-	-

31.	प्रवासी भारतीय कार्य	46(7)	2(1)	20(6)	5(0)	4(0)	15(0)	-	-	-	-
32.	पंचायती राज	23(3)	2(0)	5(0)	2(0)	4(0)	10(3)	-	-	-	1
33.	संसदीय कार्य	10(7)	1(1)	1(0)	1(1)	4(3)	3(2)	-	-	-	2
34.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	106(29)	5(0)	48(10)	19(2)	13(4)	21(13)	-	-	-	10
35.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	305(60)	6(3)	74(19)	23(5)	37(3)	165(30)	-	-	-	15
36.	योजना	144(48)	12(3)	57(21)	31(13)	7(3)	37(8)	-	-	-	10
37.	विद्युत	298(59)	22(4)	121(20)	57(9)	62(16)	36(10)	-	-	-	10
38.	रेल	469(93)	26(6)	195(39)	60(6)	49(8)	139(34)	-	-	-	10
39.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	278(67)	12(0)	114(27)	33(6)	35(8)	84(26)	-	-	-	17
40.	ग्रामीण विकास	240(48)	11(3)	86(20)	35(7)	23(5)	85(13)	-	-	-	15
41.	विद्युत और प्रौद्योगिकी	32(8)	2(0)	11(3)	7(1)	-	12(4)	-	-	-	5

42.	पोत परिवहन	68(5)	2(0)	17(2)	12(1)	10(0)	27(2)	-	-	-	-
43.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	103(30)	6(3)	48(10)	6(2)	5(3)	38(12)	-	-	-	9
44.	अंतरिक्ष	33(7)	1(0)	20(5)	10(1)	2(1)	-	-	-	-	-
45.	सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन	24(10)	1(0)	14(4)	7(5)	2(1)	-	-	-	-	-
46.	इस्पात	55(8)	5(0)	19(3)	7(0)	4(0)	20(5)	-	-	-	1
47.	वस्त्र	89(11)	3(1)	36(6)	7(0)	4(1)	39(3)	-	-	-	-
48.	पर्यटन	69(13)	3(1)	34(9)	7(0)	3(0)	22(3)	-	-	-	10
49.	जनजातीय कार्य	40(8)	3(1)	17(3)	7(1)	7(0)	6(3)	-	-	-	-
50.	शहरी विकास	157(39)	11(4)	65(18)	15(1)	14(5)	51(11)	-	1	-	5
51.	जल संसाधन	201(45)	7(0)	77(23)	36(6)	39(5)	42(11)	-	-	-	-
52.	महिला एवं बाल विकास	147(35)	12(1)	72(13)	29(2)	20(9)	14(10)	-	-	-	-
53.	युवक कार्यक्रम और खेल	82(19)	2	44(8)	7(2)	8(3)	21(6)	-	-	-	-
	योग	9528(1978)	459(89)	3536(709)	1387(323)	1232(247)	2906(610)	3	5	-	376

विवरण - IV

उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिए गए

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग का नाम	विषय	गृहीत प्रश्नों की संख्या		पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
			तारांकित	अतारांकित	
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि	कृषि उत्पादन मौनसून में कमी/सुखा	1 5	20 28	- -
2.	वाणिज्य और उद्योग	आयात/निर्यात	7	21	10
3.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	बीएसएनएल/एमटीएनएल सेवाएं मोबाइल टेलीफोन सैटेलाइट	1 1 1	38 41 34	- - -
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	पीडीएस मूल्य नियंत्रण चीनी	1 - 2	14 17 17	- -
5.	संस्कृति	ऐतिहासिक स्मारक	3	20	5
6.	पर्यावरण और वन	जलवायु परिवर्तन	6	22	11
7.	विदेश	चीन	6	18	6
8.	वित्त	बैंकों का कार्यकरण	7	33	-
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वाइन फ्लू	1 1	17 20	- -

1	2	3	4	5	6
10.	गृह	प्राकृतिक आपदाएं नक्लसवाद आतंकवाद	4 6 4	22 44 23	10 11 -
11.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	आवास सुविधा	3	21	-
12.	योजना	योजना	12	57	-
13.	विद्युत	विद्युत उत्पादन	5	16	5
14.	रेल	नई रेल परियोजनाएं	2	31	-
15.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग	5	47	15
16.	ग्रामीण विकास	'नरेगा'	7	29	15
17.	शहरी विकास	जेएनएनयूआरएम मेट्रो रेल	3 3	18 13	- -
18.	जल संसाधन	बाढ़ सिंचाई	4 3	21 34	- -
19.	युवक कार्यक्रम और खेल	खेल अवसरचना के लिए निधि/सहायता	1	14	-

विवरण-V

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में जिन 407 विवरणों को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, उनकी प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेज दी गई थी ताकि उन्हें 16 जुलाई, 1952 को सभा में सभापति द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में प्रश्नों का समय आरंभ होने से आधे घंटे पूर्व सदस्यों में वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इन विवरणों में से प्रत्येक विवरण की एक-एक प्रति संबंधित सदस्यों की सीटों पर भी रख दी गई थी। इन विवरणों की अतिरिक्त प्रतियां अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए लॉबी में काउन्टर पर रख दी गई थी।

विवरण - VI
अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटान को दर्शाने वाला सार

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय	निपटान	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	रेल दुर्घटनाएं	श्री राजनीति प्रसाद	रेल	अस्वीकृत	-
2.	मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताएं	श्री राजनीति प्रसाद	मानव संसाधन विकास	अस्वीकृत	-
3.	सरिता विहार स्थित दूरभाष केन्द्र के खिलाफ शिकायत	श्री साबिर अली	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	अस्वीकृत	-
4.	सरिता विहार स्थित दूरभाष केन्द्र के खिलाफ शिकायत	श्री मोहम्मद अदीब	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	अस्वीकृत	-
5.	केन्द्रीय विद्यालय, आई.एन.ए., नई दिल्ली का परिणाम	श्री साबिर अली	मानव संसाधन विकास	अस्वीकृत	-
6.	केगा परमाणु बिजली संयंत्र में संदूषित पेय जल	डा. जनार्दन वाघमरे	परमाणु ऊर्जा	अस्वीकृत	-
7.	एनएमडीएफसी द्वारा संवितरण	श्री साबिर अली	अल्पसंख्यक कार्य	अस्वीकृत	-
8.	एनएमडीएफसी द्वारा संवितरण	श्री मोहम्मद अदीब	अल्पसंख्यक कार्य	अस्वीकृत	-
9.	हज यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था	श्री कमाल अख्तर	विदेश	अस्वीकृत	-
10.	एसटीसी और एमएमटीसी द्वारा एनएसयूआई का वित्त पोषण	श्री कमाल अख्तर	वाणिज्य और उद्योग	व्यपगत	-

11.	एसटीसी और एमएमटीसी द्वारा राजनीतिक दलों का वित्त पोषण	श्री कमाल अख्तर	वाणिज्य और उद्योग	व्यपगत	-
12.	जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यकरण में अनियमितताएं	श्री कमाल अख्तर	मानव संसाधन विकास	अस्वीकृत	-
13.	एनएमडीएफसी द्वारा खरीदी गई जगह	श्री कमाल अख्तर	अल्पसंख्यक कार्य	अस्वीकृत	-
14.	राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अनुवाद	श्री कमाल अख्तर	गृह	व्यपगत	-
15.	राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अनुवाद	श्री कमाल अख्तर	गृह	व्यपगत	-
16.	विभिन्न सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम	श्री राजीव चन्द्रशेखर	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	अस्वीकृत	-
17.	सांसदों को प्रदत्त हज संबंधी कोटे का उपयोग	श्री कमाल अख्तर	विदेश	व्यपगत	-
18.	सं. लो. से. आ. द्वारा सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के लिए अधिसूचना में विलंब	श्री कमाल अख्तर	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	अस्वीकृत	-
19.	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एमार-एमजीएफ के कार्यालय में छापे	श्री कमाल अख्तर	वित्त	अस्वीकृत	-
20.	राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए फ्लैटों के निर्माण के लिए एमार-एमजीएफ को पुरस्कार	श्री कमाल अख्तर	युवक कार्यक्रम और खेल	अस्वीकृत	-
21.	यूनानी चिकित्सा पद्धति पर ध्यान देना	श्री साबिर अली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-

22.	यूनानी औषधालय और अस्पताल	श्री साबिर अली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
23.	के.स.स्वा.यो.द्वारा दवाइयों की खरीद	श्री साबिर अली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
24.	विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का संबंधन और विकास	श्री साबिर अली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
25.	यूनानी चिकित्सा पद्धति की प्रभावकारिता	श्री साबिर अली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
26.	गैर-सूत्रीकृत दवाइयों को लिखना	श्री साबिर अली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
27.	यूनानी चिकित्सा पद्धति पर ध्यान देना	श्री मोहम्मद अदीब	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
28.	विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का संबंधन और विकास	श्री मोहम्मद अदीब	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
29.	यूनानी औषधालय और अस्पताल	श्री मोहम्मद अदीब	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
30.	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के लिए साळा वक्फ बोर्ड	श्री साबिर अली	अल्पसंख्यक कार्य	अस्वीकृत	-
31.	वक्फ सम्पत्ति का ब्यौरा	श्री साबिर अली	अल्पसंख्यक कार्य	अस्वीकृत	-
32.	वक्फ सम्पत्ति का ब्यौरा	श्री साबिर अली	अल्पसंख्यक कार्य	अस्वीकृत	-
33.	कम्पनियों को कृषि भूमि का आवंटन	श्री कमाल अख्तर	ग्रामीण विकास	अस्वीकृत	-
34.	कम्पनियों को कृषि भूमि का आवंटन	श्री कमाल अख्तर	ग्रामीण विकास	अस्वीकृत	-

35.	धार्मिक समूहों द्वारा के.लो.नि.वि./दि.वि.प्रा. की भूमि पर अनधिकृत निर्माण	डा. जनार्दन वाघमरे	शहरी विकास	अस्वीकृत	-
36.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के बकायों का भुगतान	श्री कमाल अख्तर	विद्युत	व्यपगत	-

विवरण-VII

प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय	निपटान	चर्चा में लेने वाले सदस्यों की संख्या	भाग वाले की संख्या
1	2	3	4	5	6	
1.	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़	श्री जेसुदासु सीलम	गृह	अस्वीकृत	-	
2.	राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कठिनाई	श्री रामदास अग्रवाल	सड़क परिवहन और राजमार्ग	अस्वीकृत	-	
3.	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण क्षति	श्री पेनुमल्ली मधु	गृह	अस्वीकृत	-	
4.	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़	श्री बी.के. हरिप्रसाद	गृह	अस्वीकृत	-	
5.	मोबाइल बाजार में बीएसएनएल/एमटीएनएल की हिस्सेदारी	श्री ए. विजयराघवन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	अस्वीकृत	-	
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी परियोजनाओं का निष्पादन	श्री राजीव प्रताप रूडी	सड़क परिवहन और राजमार्ग	अस्वीकृत	-	
7.	एयर इण्डिया में लागत कटौती संबंधी उपाय	श्री भारतकुमार राऊत	नागर विमानन	व्यपगत	-	
8.	महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति	श्री एन. के. सिंह	योजना	व्यपगत	-	
9.	भेषज उद्योग के लिए सामान्य आचार संहिता	श्री अरवि राय	रसायन और उर्वरक	व्यपगत	-	

18

विवरण-VIII

राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों का सार

क्रम	दिनांक	जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न संख्या जिसके संबंध में	प्रश्न के उत्तर की तारीख	प्रश्न का विषय
------	--------	---	-------------------------------	--------------------------	----------------

संख्या			वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया		
1.	18.12.2009	श्री ई. अहमद, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	अतारांकित प्रश्न संख्या 2606	11.12.2009	डिब्बों की वार्षिक आवश्यकता

विवरण-IX

राज्य सभा में पूछे गए और उत्तर दिए गए प्रश्नों के संबंध में कुछ रोचक तथ्य

1.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय रखा गया था.....	23
2.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय नहीं था.....	शून्य
3.	उन बैठकों की संख्या जिन्हें बिना कोई कार्य संपन्न किए स्थगित कर दिया गया	2 (19.11.2009 और 21.12.2009)
4.	उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान प्रश्नों का समय तो रखा गया था परन्तु सभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया गया.....	6 (19.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 16.12.2009 और 21.12.2009 को)
5.	निरस्त बैठकों की संख्या.....	1 (27.11.2009)
6.	हिन्दी में प्राप्त हुए प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) की संख्या.....	1978
7.	उन सदस्यों की संख्या जिनसे सूचनाएं प्राप्त हुई.....	146
8.	तारांकित प्रश्नों के बैलेट में सर्वाधिक बार आने वाले किसी सदस्य का नाम.....	10 (श्री अमीर आलम खान)
9.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिये गये.....	85
10.	उन प्रश्नों की संख्या जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये.....	84
11.	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या.....	376
12.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके लिखित उत्तर राज्य सभा के पटल पर रखे गये.....	3910
13.	किसी एक सदस्य से प्राप्त हुई सर्वाधिक सूचनाएं.....	364 (श्री प्रभात झा, संसद सदस्य द्वारा)
14.	किसी एक सदस्य द्वारा पूछे गए सर्वाधिक अनुपूरक प्रश्न.....	14 (डा. एन. के. सिंह, संसद सदस्य द्वारा)
15.	किसी एक सदस्य द्वारा किसी एक दिन पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या.....	3 (श्री संतोष बागड़ोदिया, संसद सदस्य द्वारा 1.12.2009 और 14.12.2009 को तथा डा. के. मलयसामी, संसद सदस्य द्वारा 3.12.2009 को)

16.	उन प्रश्नों की संख्या जिन्हें सदस्य/सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण	31
-----	---	----

17.	नहीं उठाया जा सका..... जिस दिन तारांकित प्रश्न सूची में 20 से कम प्रश्न थे.....	1 (17.11.2009 को)
18.	एक दिन की सूची में रखे गए अतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या.....	126 (19.11.2009 को)
19.	उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए.....	7 (7.12.2009 और 8.12.2009 को)
20.	उन प्रश्नों की न्यूनतम संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए.....	3 (26.11.2009 को)
21.	सत्र आरंभ होने के बारे में संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् किसी एक दिन में प्राप्त हुई सूचनाओं की अधिकतम संख्या	901
22.	किसी एक विषय पर उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया हो.....	3 (राष्ट्रीय राजमार्गों तथा 'नरेगा' प्रत्येक पर)
23.	किसी एक प्रश्न पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या.....	6 (ता.प्र. 106, ता.प्र. 203, ता.प्र. 302, ता.प्र. 303, ता.प्र. 322 और ता.प्र. 327 प्रत्येक पर)
24.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या.....	662 (गृह मंत्री को)
25.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित गृहीत प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या.....	240 (गृह मंत्री को)
26.	किसी एक मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	9 (गृह मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री प्रत्येक द्वारा)
27.	किसी एक मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए अनुपूरक प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	41 (गृह मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री प्रत्येक द्वारा)
28.	उन प्रश्नों की संख्या जिनका उत्तर प्रभारी मंत्री की जगह अन्य मंत्री ने दिया.....	शून्य
29.	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त प्रश्नों की औसत संख्या.....	414.26
30.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या	3.7
31.	प्रत्येक बैठक में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या.....	16.34
32.	जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या.....	4.42
33.	मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर लिया गया औसत समय.....	16.23 मिनट

34.	प्रश्नों के समय से आधे घण्टे पूर्व राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित विवरणों की कुल संख्या.....	407
35.	किसी एक दिन में प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सभा के सूचना कार्यालय को भेजे गए विवरणों की सर्वाधिक संख्या.....	20 (20.11.2009, 4.12.2009, 11.12.2009 और 18.12.2009 प्रत्येक दिन)
36.	सूचना कार्यालय और लॉबी को भेजा गया किसी प्रश्न के संदर्भ में राज्य सभा के पटल पर रखा गया सबसे बड़ा विवरण	8 पृष्ठ (तारांकित प्रश्न संख्या 182 और 421 प्रत्येक के संबंध में)
37.	राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों की कुल संख्या	1 (18.12.2009 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के लिए)

विवरण - X

राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेशों/निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम	सभापति/उपसभापति	तारीख	की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेश/ निर्णय
------	-----------------	-------	---------------------------------------

संख्या	द्वारा की गई टिप्पणियाँ/दिए गए निदेश/निर्णय		
1	2	3	4
1.	माननीय सभापति	26.11.2009	तारांकित प्रश्न सं. 107 के संबंध में द्वितीय प्रश्नकर्ता श्री शिवानन्द तिवारी को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई क्योंकि प्रथम प्रश्नकर्ता श्री रवि शंकर प्रसाद उपस्थिति नहीं थे।
2.	माननीय सभापति	2.12.2009	जब तारांकित प्रश्न सं. 182 के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो मंत्री महोदय ने यह तर्क दिया कि पूछा गया अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, इस पर संबंधित सदस्य ने कहा कि यह उस प्रश्न से संबंधित है। पुनः संबंधित सदस्य ने कहा कि वे एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहे हैं परन्तु उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा है, तब माननीय सभापति ने यह टिप्पणी की: <i>"माननीय सदस्यगण, यदि प्रश्नों के समय को बहस के समय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है तो मैं नियम समिति को बुलाऊंगा और समिति के समक्ष एक प्रस्ताव रखूंगा। यदि उत्तर असंतोषजनक है, यदि उत्तर भ्रामक है तो उस प्रश्न को उठाने के लिए स्थापित प्रक्रियाएं हैं परन्तु हम ऐसे लोगों के साथ बहस को जारी नहीं रख सकते जो हमेशा आपस में बातें करते रहते हैं और उस स्थिति में हम कोई भी कार्य कर ही नहीं पाएंगे।"</i>
3.	माननीय सभापति	08.12.2009	तारांकित प्रश्न सं. 268 के द्वितीय प्रश्नकर्ता श्री संतोष बागड़ोदिया को, जो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के समय अनुपस्थित थे, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई यद्यपि उस प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो चुके थे और माननीय सभापति अगले प्रश्न तारांकित प्रश्न सं. 261 को पुकार चुके थे।

4.	माननीय सभापति	08.12.2009	तारांकित प्रश्न सं. 269 के उत्तर के दौरान द्वितीय प्रश्नकर्ता श्री मोइनुल हसन को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय प्रथम प्रश्नकर्ता श्री श्यामल चक्रवर्ती उपस्थित नहीं थे। प्रथम प्रश्नकर्ता श्री
----	---------------	------------	--

			श्यामल चक्रवर्ती, श्री हसन द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दे दिए जाने के पश्चात पहुंचे और उन्हें एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।
5.	माननीय सभापति	08.12.2009	माननीय सभापति ने सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालने के कारण श्री रूद्रनारायण पाणि को चेतावनी दी। सभापति ने उनके विरुद्ध राज्य सभा के प्रकिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 255 को आहूत करने की संभावना की ओर सदस्य का ध्यान आकर्षित किया। सभापति की टिप्पणी को उस दिन के संसदीय समाचार भाग-11 में प्रकाशित किया गया।
6.	माननीय सभापति	09.12.2009	तारकित प्रश्न सं. 284 के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न देते हुए, क्योंकि मुख्य प्रश्न "महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रखरखाव के लिए धनराशि के बारे में था और प्रो. सैफुद्दीन सोज़ ने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहा था, सभापति ने निर्णय दिया: <i>"विषय से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछिए। मैं नहीं समझता कि विषय को विस्तार से कहने की परिपाटी विशेष रूप से सहायक है। मुझे खेद है कि मुझे इसको क्रम से हटाना होगा क्योंकि यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।"</i>

